निरीक्षण आख्या, **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार** के अवधि 07/2014 से 06/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.07.2016 से 22.07.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. जौहरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री एफ.आर. खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.08.2014 से 13.08.2014 तक श्री बी.एस. चंदेल, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 08/2011 से 06/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 07/2014 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/अधिशाशी अभियन्ता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा-

क्र.सं.	पदनाम	अवधि
1.	श्री राम जी लाल, अधि.अभि.	20/03/2014 से वर्तमान तक
2.	श्री राजीव गोयल, व. लेखाधिकारी	वर्ष 2012-13 से अब तक

अधीक्षण अभियंता ने खंड का गत निरीक्षण माह 04/2015 में किया।
खंड के भंडार तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवार्षिक/वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह मार्च शून्य एवं सितम्बर 2013 में हुई।
फार्म 51 माह 05/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है।
भाग प्रथम रू. 3242350

भाग द्वितीय रू. 1359620

खंड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 06/2016 के अंत में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नकद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप रू. 168127918

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो-अ	भाग दो-ब
11/2008-09	3	-
34/2009-10	-	1
35/2010-11	1,2	1,2
35/2011-12	1	-
63/2014-15	1,2	1

(ब) सतत् अनियमिततायें - शून्य

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)- शून्य

(द) बजटः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		सर्मपण/अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आयोजनेत्तर	आयोजनागत
2013-14	144.10	144.10	3467.80	2134.10	-	-
2014-15	166.69	166.69	2940.57	1898.03	-	-
2015-16	195.18	195.18	3686.56	2937.75	-	-

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- ` 137.76 लाख अनियमित व्यय।

शासनादेश संख्या 162/XX(1)/93 निर्माण/आयोजनागत 2008-09 दिनांक 2 मार्च 2009 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में आयोजनागत योजना के अंतर्गत 40 वी वाहिनी पीएसी हरिद्वार में टाइप 2 के 48, टाइप 3 के 08, टाइप 4 का 1 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ` 3,23,78,000 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, एवं ` एक करोड़ की धनराशि व्यय करने हेतु प्रदान की गयी थी, इस धनराशि से व्यय करने की शर्तें निम्नलिखित थी- समस्त कार्य स्वीकृत डिजाइन के आधार पर ही किया जाएगा, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था एवं ग्राहक विभाग के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया जाएगा, आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा, अगली किस्त का प्रस्ताव करते समय एमओयू की प्रति शासन को उपलब्ध कराना था, कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना था, धनराशि से व्यय वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय की सहमति से किया जाना था। सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना था, स्थल का निरीक्षण भू-गर्भवेता से कराना था, कार्य को स्वीकृत लागत में पूर्ण करना था आधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जाना था, रूड़की अनुसंधान संस्थान से भूमि/पदार्थ/जल/प्रतिरूप परीक्षण भी किया जाना था, अगली किस्त अवमुक्त करने से पूर्व पुलिस महानिदेशक की सहमति के अनुरूप कार्य संतोषप्रद प्रमाण पत्र पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जाना था, इसी क्रम में दिनांक 05/03/2014 को ` 64.48 लाख की द्वितीय किस्त अवमुक्त की गयी थी। इसी प्रकार कार्यालय द्वारा ` 164.48 लाख धनराशि प्राप्त की गयी थी।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार 42(1) कार्यों के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाए। मात्र इसलिए कार्य के अलग-अलग टुकड़े न किये जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े।

आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कार्य के लिए ` 323.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु टुकड़ों में बांट कर प्राविधिक स्वीकृति ` 336.66 लाख की अधिशासी अभियंता द्वारा प्रदान की गयी थी। इसमें टाइप 3 के 8 आवासों के स्थान पर

16 आवासों एवं टाइप 2 के 48 आवासों का प्रावधान किया गया था परंतु टाइप 4 के आवास का प्रावधान नहीं था तथा उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए टुकड़ो में बाट कर कुल 10 अनुबन्धों का गठन किया गया था अनुबंधों की कुल धनराशि ` 87.73 लाख थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 27-08-2009 थी, कार्य पूर्ण की तिथि 26.02.2010 थी अनुबन्धों के अनुसार 10 ब्लॉक के भूतल अर्थात 20 आवासों का ही निर्माण करने हेतु किया गया था। शेष आवासों का निर्माण कैसे और कब किया जाएगा इसका उल्लेख अनुबंधों में नहीं था। ग्राहक विभाग से कोई एमओयू नहीं किया गया था। उपलब्ध बाउचर के अनुसार ` 1,37,76,787 ही ठेकेदारों को भुगतान किया गया था, जबकि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में व्यय ` 164.48 लाख दर्शाया गया है, ब्लॉक A की प्रगति 100% दिखायी गयी है अवशेष 9 ब्लॉक के कार्यों की प्रगति 35% दिखायी गयी है। उपरोक्त सभी कार्य फरवरी 2010 से बंद पड़े है, कार्य पूर्ण करने के लिए ` 575.95 लाख की आश्यकता प्रगति आख्या में दिखायी गयी है। भू गर्भवेता की रिपोर्ट एवं ग्राहक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि बिन्दु वार जांच करके आख्या अलग से प्रस्तुत की जाएगी।

अतः ` 323.78 लाख के कार्य को 10 टुकड़ो में बाँटा जाना, ग्राहक विभाग से एमओयू नहीं किया जाना, 8 के स्थान पर 16 टाइप 3 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया जाना, भू गर्भवेता की रिपोर्ट एवं ग्राहक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाना, ` 323.78 के सापेक्ष टुकड़ों में बाँट कर प्राविधिक स्वीकृति ` 336.66 लाख प्रदान किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। कार्य की यह स्थिति प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की शर्तों का पालन नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न हुई थी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- विभाग के उदासीनता के कारण ` 2.11 लाख का कर्मचारियों को दिये जाने वाले नियोजकता अंशदान के लाख को वंचित रखना।

अंशदाई पेंशन योजना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में लागू किया गया जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सितम्बर/2005 के बाद हुई है उनकी वेतन+ग्रेड वेतन+भत्ते का 10% की दर से प्रतिमाह अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि से एक माह बाद किये जाने का प्रावधान है।

अंशदाई पेंशन योजना के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर यह पाया गया की सात अधिकारियों/कर्मचारियों की अंशदान की कटौती 2 माह से 11 माह विलम्ब से किया गया जिसको कराया नियोश्ता द्वारा मिलने वाला अंश ` 2.11 लाख विभाग के उदासीनता के कारण नहीं मिल सका।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए बताया गया की अनुपालन किया जायेगा।

अतः ` 2.11 लाख का कर्मचारियों को दिया जाने वाला नियोश्ता अंशदान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- डिपोजिट कार्य में उपलब्ध धनराशि से ` 12.17 धनराशि का अधिक व्यय।

डिपोजिट रजिस्टर पार्ट 3 की नमूना जांच में पाया गया कि निम्नलिखित धनराशियाँ कार्यों के सापेक्ष ऋणात्मक दर्शायी गयी है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 580 के अनुसार जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो विभाग के विरूद्ध विविध अग्रिम डाल कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। परंतु निम्न अधिक व्यय की गयी धनराशियाँ की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

विवरण	**धनराशि ` में**	**ऋणात्मक दिखाने का माह**
ई.डिस्टिक केन्द्र जिला मुख्यालय हरिद्वार	207136	11/2015
दरगाह साबिर पार्क के दरगाह कार्यालय, पुलिस चौकी, मेहमान खाना, पंप हाउस में रंगाई पुताई	222170	02/2016
दरगाह साबिर पार्क के गेस्ट हाउस में रंगाई पुताई	131990	02/2016
दरगाह किले एवं मस्जिद में रंगाई पुताई	327935	02/2016
40 वी वाहिनी पीएसी हरिद्वार में बहुदेशीय हाल का सुदृढीकरण	177190	04/2015
राजीव नगर कालोनी में मंदिर का सोंद्रीयकरण	47602	06/2015
ब्दुकेश्वर मंदिर खेमा नन्द मार्ग का सोंदरीयकरण	103143	06/2015
कुल धनराशि	**1217166**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया कि जांच करके समायोजन की कार्यवाही की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। अतः ` 12.17 लाख धनराशि डिपोजिट कार्यों हेतु उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- ` 43.01 लाख धनराशि पूर्ण कार्यों की बचत ग्राहक विभागों को वापस नही किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-VI प्रस्तर 634 के अनुसार निक्षेप कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात बचत/अवशेष धनराशि आवश्यक रूप से ग्राहक विभाग को वापस कर देना चाहिए। विभाग में रखे जा रहे निक्षेप पंजिका भाग-03 एवं अभिलेखों की नमूना जांच करने पर यह देखा गया कि निम्नलिखित 10 विभागों की बचत/अवशेष की धनराशि ` 43.01 लाख काफी पूर्व से समायोजन के अभाव में पड़ी है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	बचत/अवशेष धनराशि
1.	ग्राम्य विकास विभाग	653786.00
2.	जिला अधिकारी/राजस्व	80965.00
3.	शिक्षा विभाग	1316254.00
4.	पशुपालन विभाग	621908.00
5.	होम्योपैथी विभाग	106614.00
6.	वफ्त बोर्ड	583874.00
7.	वियिमित क्षेत्र के कार्य	119967.00
8.	पुलिस विभाग	76228.00
9.	समाज कल्याण	49715.00
10.	पर्यटन विभाग	691753.00
	योग	**4301064.00**

इस संबंध में यह पूछा गया कि ग्राहक विभाग का विभागों की बचत की धनराशि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी क्यों नहीं वापस किया गया। विभाग ने आपत्ति स्वीकारते हुये यह कहा कि

धनराशि वापस की जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं लेखापरीक्षा को कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा।

अतः ` 43.01 लाख का ग्राहक विभाग की बचत की धनराशि वापस करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-5- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण ` 1.16 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश सं.- 395/xxvii/(7)2008 दिनांक 17.10.2008 के अनुसार वेतन बैंड वेतन में अनुमान्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित किया जायेगा। इस धनराशि को जहाँ पदोन्नती में वेतन बैंड में परिवर्तन है। ऐसी स्थिति में इसी प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा नई पदोन्नती में पुराने वेतन में एवं वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद वेतन निर्धारण किया जायेगा।

इकाई में कार्यरत श्री तेलूराम (सहायक अभियन्ता) की सेवा पुस्तिका की नमूना जांच में पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी का दिनांक 29.04.2011 को वेतन ` 11800+4200 कुल ` 16000 आहरण किया जा रहा था। दिनांक 30.04.2011 को पदोन्नती के उपरान्त पुराने वेतन में एक वेतन वृद्धि जोड़ने पर (12280+4800) कुल ` 17080 पर वेतन निर्धारण किया जाना था लेकिन विभाग द्वारा पदोन्नती के पश्चात (13950+4800) कुल ` 18750.00 का निर्धारण किया गया था, जिसके फलस्वरूप श्री तेलूराम को ` 1670.00 प्रतिमाह की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया। आगे यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा सेवा पुस्तिका में पुनः वेतन निर्धारण किया गया था परन्तु यह भी त्रुटिपूर्ण था एवं इस निर्धारण के अनुरुप भी भुगतान नहीं किया गया था। विभाग की इस चूक के कारण से माह जून 2016 तक कुल ` 1,16,224.00 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया। (Due & Drawn Pay Statement) संलग्न है।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि जांच उपरान्त कार्यवाही करके लेखा परीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप ` 1.16 लाख की धनराशि के अधिक भुगतान की वसूली का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Due Drown Pay Statement of Sh. Teluram AAE

Date	Pay Due	GP	Total	Drown Pay	GP	Total	DA Due	DA Drown	Different Pay	Dirrerent DA	Total	No. of Month/Day	G Total
30.04.2011	11800	4200	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.04.2011	12280	4800	17080	13950	4800	18750	8711	9562	1670	851	2521	(2M)	5042
01.07.2011	12280	4800	17080	13950	4800	18750	9906	10875	1670	969	2639	(6M)	15834
01.01.2012	12800	4800	17600	11950	4800	16750	11440	10887	-850	-553	-1403	(6M)	-8418
01.07.2012	12800	4800	17600	11950	4800	16750	12672	12060	-850	-612	-1462	(6M)	-8772
01.01.2013	13330	4800	18130	12440	4800	17240	14504	13772	-890	-100	-1890	(6M)	-11340
01.07.2013	13330	4800	18130	12440	4800	17240	16317	15516	-890	-801	1691	(6M)	-10146
01.01.2014	13880	4800	18680	15700	4800	20500	18680	20500	1820	1820	3640	(6M)	21840
01.07.2014	13880	4800	18680	15700	4800	20500	19988	21935	1820	1947	3767	(6M)	22602
01.01.2015	14440	4800	19240	16320	4800	21120	18442	23865	1880	626	1807	(10 Days)	2434
11.01.2015	15020	5400	20420	16960	5400	22360	23075	25267	1940	2191	4131	(6M)	24786
01.07.2015	15020	5400	20420	16960	5400	22360	23300	26608	1940	2308	4248	(6M)	25488
01.01.2016	15640	5400	21040	17630	5400	23030	26300	28787	1990	2475	4465	(6M)	26790
Total												**0**	**116224**
Drwon Pay with effect from 30-04-2011 to 30-06-2015 Total Rs. 154900													
Due Pay with effect from 01-01-2012 to 30-07-2013 Total Rs. 38676													
154900-38676=116224													

STAN

प्रस्तर-1- ` 2.37 लाख की धनराशि का अवरूद्ध पड़े रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग हरिद्वार के विधायक निधि के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए संस्तुत किये गये कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हजारी बाग कनखल में आर.के. गार्डन के सामने सी.सी. मार्ग के निर्माण कार्य हेतु ` 3.16 लाख की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ` 2.37 लाख प्रथम किस्त के रूप में पत्रांक संख्या-3569/लेखा-वि.नि./2015-16 दिनांक 30.12.2015 को अवमुक्त की गयी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उपरोक्त कार्य अन्य संस्था निर्मित कराया गया था जिसके फलस्वरूप इकाई द्वारा यह कार्य नहीं किया जाना था। अतः इस कार्य के लिए अवमुक्त धनराशि ` 2.37 लाख का वापस किया जाना अपेक्षित था, परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (जुलाई 2016) तक यह धनराशि वापस नहीं की गयी थी। इस प्रकार ` 2.37 लाख की धनराशि इकाई के पास अवरूद्ध पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुए बताया गया कि धनराशि वापस किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

अतः ` 2.37 लाख की धनराशि अवरूद्ध पड़ी रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)